**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2215**

**25 अप्रैल, 2012 को उत्तर के लिए**

**सशस्त्र बल अधिकरणों को अवमानना संबंधी निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया जाना**

**2215. श्री ए.ए.जिन्ना :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सशस्त्र बल अधिकरणों/अपीलीय अधिकरणों को अवमानना के मामलों में निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित अधिनियम को संशोधित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि उक्त अधिकरणों को उनके आदेशों/निर्णयों के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए अवमानना संबंधी निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया जा सके ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के.अन्टनी)**

(क) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007( 2007 का 55) की धारा 19 के खंड(1) के प्रावधानों के तहत अधिकरण को 'अपराधिक अवमानना' के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है । सिविल अवमानना के संबंध में सशस्त्र बल अधिकरण को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है ।

(ख) रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल अधिकरण के आदेशों/निर्णयों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 19 को संशोधित करने पर सिद्धांततः सहमत हो गया है ।

\*\*\*\*\*